संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील अपीलान्टस् ने अपील नामान्तकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया है। वही वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वहस किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड यथा नामान्तकरण संख्या 311 ग्राम पंचायत कुथाडा खुर्द के प्रस्ताव की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति एंव अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कुथाडा खुर्द की विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328 कुल किता 10 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर की खातेदारी लाल्या पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/4 व हनुमान, रामोतार, केदार, बाबूलाल, नेतराम पिता कल्याण, शान्ती बेवा कल्याण हिस्सा 3/4 कोम मीणा सा.देह खातेदार राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर शाखा बस्सी मूर्तहीन के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें कल्याण व सुन्दरी फौत होने पर उनके सभी वारिसान् के नाम प्रस्तुत नामान्तकरण तस्दीक होना स्पष्ट है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अवगत करवाया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना मियाद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र अनुसार अपील नामान्तकरण 7 वर्ष से भी अधिक की देरी से पेश किया है। ना ही नामांतकरण दिनांक से 7 वर्ष पश्चात् नामांतकरण पेश करने का कोई ठोस कारण बताया है। अपील के गुणावगुण पर विचार करने से पहले मियाद का प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर मियाद अधिनियम धारा 5 को अस्वीकार किया जाने से नामांतकरण अपील पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध नामान्तकरण विरासत नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 20.09.2001 ग्राम पंचायत कुथाडा खुर्द तहसील बस्सी को अपील नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए मियाद अधिनियम धारा 5 के अस्वीकार होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर (रा.ज.)